भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4839

(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क संपर्क

4839. श्री अमरा रामः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बस्तियों को सड़क-मार्ग से जोड़ने के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का इस वर्ष सीकर जिले में स्थित बस्तियों के लिए सड़क संपर्क स्वीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरूआत ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए कोर नेटवर्क की निर्दिष्ट आबादी आकार वाली सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों (2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और हिमालयी संघ राज्य क्षेत्रों में 250+) को बारहमासी सड़कों के माध्यम से ग्रामीण सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए एकबारगी विशेष पहल के रूप में की गई थी। मरूस्थलीय क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित), जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों और चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय एवं योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित) तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इन क्षेत्रों में कोर नेटवर्क में स्थित 250 व्यक्ति और उससे अधिक की आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी बसावटें इस योजना के अंतर्गत सड़क संपर्क के लिए पात्र हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित ब्लॉकों में (गृह मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित) 100 व्यक्ति और उससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है।

पीएमजीएसवाई के संबंध में इकाई का अर्थ बसावट है न कि राजस्व गांव अथवा पंचायत। कोई बसावट आबादी का एक समूह है , जो एक क्षेत्र में रहती है , जिसका स्थान समय के

साथ नहीं बदलता है। बसावटों का वर्णन करने के लिए सामान्यत: प्रयोग की जाने वाली शब्दावली देशम, ढाणी, टोला, माजरा, हैमलेट आदि है।

जनगणना 2001 में दर्ज की गई जनसंख्या किसी भी बसावट के जनसंख्या आकार का निर्धारण करने का आधार होगी। जनसंख्या के आकार का निर्धारण करने के लिए 500 मीटर (पहाड़ियों के मामले में मार्ग की 1.5 कि.मी. दूरी) के दायरे में आने वाली सभी बसावटों की आबादी को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तथापि , पहाड़ी राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे ब्लॉकों (गृह मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित) में 10 कि.मी. की मार्गस्थ दूरी के भीतर आने वाली सभी बस्तियों को इस प्रयोजनार्थ क्लस्टर के रूप में माना जा सकता है। इस क्लस्टर दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में बसावटों, विशेष रूप से पहाड़ी/पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क का प्रावधान हो सकेगा। इसके अतिरिक्त , अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में पात्रता के लिए 10 कि.मी. की मार्गस्थ दूरी के भीतर स्थित जनसंख्या को शामिल करते हुए और एक क्लस्टर के रूप में मानते हुए क्लस्टर दृष्टिकोण का दायरा अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती ब्लॉकों से बढ़ाकर राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों तक कर दिया गया है।

(ख): राजस्थान राज्य के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत उसकी हकदारी की सभी सड़कें और पुल पूर्ण मंजूर कर दिए गए हैं। वर्ष 2000 में पीएमजीएसवाई की शुरूआत से लेकर दिनांक 27.03.2025 तक राजस्थान राज्य के लिए 78,267.27 किलोमीटर सड़क लंबाई और 73 पुलों के साथ कुल 18,161 सड़कों को मंजूरी दी गई है। इनमें से राज्य द्वारा 75,644.32 किलोमीटर की 18,076 सड़कों और 54 पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। सीकर जिले के लिए, 1,710.06 किलोमीटर की 395 सड़कों को मंजूरी दी गई थी और सभी सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

हाल ही में , दिनांक 11 सितंबर, 2024 को पीएमजीएसवाई-।V नामक एक नया घटक शुरू किया गया है , जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों , विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची- V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, मरुस्थलीय क्षेत्रों) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ की आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। यह योजना 2024-25 से 2028-29 तक 70,125 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू की जाएगी , जिसमें सड़कों से न जुड़ी 25,000 बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान करने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करना सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ निकट समन्वय से कार्य कर रही है। सीकर जिले सहित राजस्थान में सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटें, यदि कोई हों, को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

****